

OBC की आय सीमा में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सहि सैनी ने [अन्य पछिड़ा वर्ग \(Other Backward Classes- OBC\)](#) के क्रीमी लेयर के लिये **वार्षिक आय सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख** करने की घोषणा की।

मुख्य बटु:

- इसका प्राथमिक लक्ष्य हरियाणा में OBC समुदाय के कल्याण की रक्षा करना तथा **सरकारी नौकरियों में युवाओं को पर्याप्त लाभ प्रदान करना** है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि **ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों पर पछिड़े वर्गों के लिये आरक्षण कोटा**, जो वर्तमान में 15% है, को **केंद्र सरकार की नीति** के अनुरूप **बढ़ाकर 27%** किया जाएगा।

भारत में आरक्षण

- संवधान के [अनुच्छेद 340](#) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में [बी.पी.मंडल](#) की अध्यक्षता में पछिड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की।
- आयोग का गठन भारत के **“सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्गों”** को परभाषित करने के मानदंड निर्धारित करने तथा उन वर्गों की उन्नति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सफारिश करने के लिये किया गया था।
- मंडल आयोग ने नषिकरष नकाला था कि भारत की जनसंख्या में लगभग 52 प्रतिशत OBC हैं, इसलिये **27 प्रतिशत सरकारी नौकरियाँ उनके लिये आरक्षण होनी चाहिये**।
- आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पछिड़ेपन के **ग्यारह संकेतक** वकिसति किये हैं।
- हटुओं में पछिड़े वर्गों की पहचान करने के अलावा, आयोग ने **गैर-हटुओं** (जैसे- मुस्लिम, सखि, ईसाई और बौद्ध) में भी **पछिड़े वर्गों** की पहचान की है।
- इसने 3,743 जातियों की अखलि भारतीय अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) सूची तथा 2,108 जातियों की अधक वंचति “दलति पछिड़ा वर्ग” सूची तैयार की है।